

Form No. III

फर्द अहकाम
नियम 25

शालत उपखण्ड झांझिकारी अर्थात् मुकाम नीरखान

वीरमानसिंह बनाम भजीतसिंह वर्मा

मुकदमा अर्चना-पत्र श. 2 R. 4 नं. 132 सन 2024

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
	<p>17-5-24 आज यह अर्चना पत्र 212 R.T.A. मूल वरु के साथ पेश किया/ दर्ज रजिस्टर हो, स्वयं अर्चना उपाय अर्चना को स्व ^{प्लीय} वेदस सुनी गई।</p> <p>दस्तावेजात का अवलोकन किया गया/ प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णता अति भी अर्चना के पत्र में होना उचित होती है। अतः अर्चना को अर्थात् निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आ.सं. नं. 407, 430, 566, 569, 571, 395, 425, 436, 452, 561 वाले ग्राम-चौबरा तह. नीमरत्ना जिला-कोल्हटली-बघोड़ (राज.) के मौका व स्कूट की प्रथास्थित बनाये रखें। इस संबंध में जो भी उज्ज हो।</p> <p>आप स्वयं अर्चना दायिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अर्चना जोरते रजिस्टर्ड नोटिस से तलब हो।</p> <p style="text-align: right;">लगातार</p>	

क्र. हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

13 नवंबर 1945 का आदेश पंजाब के मुख्य
जज के सामने पेश (हुकम) मुख्य
जज नोट प्रेष में लासिक के
उत्तर है। प्रार्थना के प्रत्येक
को नोट प्रेष किया है।
आदेश प्रार्थना के प्रत्येक
नोट प्रेष में लासिक किंतु
अपना है। पंजाब के मुख्य
जज के उत्तर नम्बर के
कम है। नोट प्रेष मुख्य
मुख्य जज के है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमचना (कोरमूनी-बहरा)

नोट प्रेष
वीर पाठ सिंह
शु. रक्षा मंत्रालय
श्री. म. पाल सिंह
हरकेश
ज. 1
[Signature]